रजिस्ट्री स० डी० (डी) 72

REGISTERED No. D(D) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 1978/पौष 27, 1899

No. 29] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 1978/PAUSA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, 17 जनवरी 1978

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 34 (अ) —केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना स० 226/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण III के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् —

"स्पष्टीकरण III—सूती फैब्रिक में सूत के औसत काउन्ट का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात —

(क) बार्डर या छोरों में प्रयुक्त सूत गणना में नहीं लिया जाएगा;

(ख) अनेक तारों वाले सूत के लिए, आधारी एक तार के सूत का काउन्ट लिया जाएगा और यथास्थिति, रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की संख्या या प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की संख्या को सूत में प्लाइयों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा । जहां भिन्न-भिन्न काउन्टों के एक तार के आधारी सूत हों वहां एक तार के आधारी सूत का काउन्ट, जिसमें अधिकतम काउन्ट हों, प्रत्येक आधारी एक तार के सूत के काउन्ट के आधार पर गिना जाएगा ;

(ग) सूती या अन्य सूत में निर्मित फैब्रिक की दशा में उपरोक्त प्रयोजन के लिए अन्य सूत को भी सूती सूत समझा जाएगा,

(घ) जहां ताने या बाने में या दोनों में भिन्न काउन्टों के सूत हों, वहां उस सूत के काउन्ट को यथास्थिति ताने या बाने का काउन्ट समझा जाएगा जिसमें अधिकतम काउन्ट हो ,

(ङ) औसत काउन्ट निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निकाला जाएगा, अर्थात् —

(ताने का काउन्ट × रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की स०) + (बाने का काउन्ट × प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की संख्या)

रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की स० + प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की संख्या)

प्राप्त फल को जहां आवश्यक हो, आधे या अधिक अंश को एक के रूप में मानते हुए और आधे से कम अंश को छोड़ते हुए, पूर्णांकित किया जाएगा ।

[अधिसूचना स० 7/77 के०उ०शु०फा० स० 51/18/74 सी एक्स 2]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 17th January, 1978

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 34(E).—In exercise of the powers conferred by subrule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the

following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 226/77 Central Excises, dated the 15th July, 1977, namely :—

In the said notification, for Explanation III, the following Explanation shall be substituted, namely :—

'Explanation III—For the purpose of determining the average count of yarn in the cotton fabrics, the following rules shall apply, namely :—

(a) yarn used in the borders or selvedges shall be ignored;

(b) for multiple-fold yarn the count of the basic single yarn shall be taken and the number of ends per 25.4 mm. in the reed or the number of picks per 25.4 mm. as the case may be, shall be multiplied by the number of plies in the yarn ; where there are basic single yarns of different counts, the count of the basic single yarn which has the highest count shall be taken to be the count of each basic single yarn ;

(c) in the case of fabrics manufactured from cotton and other yarn, the other yarn shall, for the aforesaid purpose, be deemed to be cotton yarn;

(d) where there are yarns of different counts in warp or weft or both, the count of the yarn which has the highest count shall be taken to be the count of warp or weft, as the case may be;

(e) the average count shall be obtained by applying the following formula, namely :—

(Count of warp No. of ends per 25.4 mm. in the reed) + (Count of weft No. of picks per 25.4 mm.)
———————————————
(No. of ends per 25.4 mm. in the reed + No. of picks per 25.4 mm.)

The result being rounded off, wherever necessary, by treating any fraction which is one-half or more as one, and disregarding any fraction which is less than one-half."

[Notification No. 7/77-CE. F. No. 51/18/74-CX-2]

सा०का०नि० 35(अ)—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 8 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 136/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 18 जून, 1977 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में स्पष्टीकरण II के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् —

"स्पष्टीकरण II—सूती फैब्रिक में सूत के औसत काउन्ट का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात —

(क) बार्डर या छोरों में प्रयुक्त सूत गणना में नहीं लिया जाएगा ;

(ख) अनेक तारों वाले सूत के लिए, आधारी एक तार के सूत का काउन्ट लिया जाएगा और यथास्थिति, रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की संख्या या प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की संख्या को सूत में प्लाइयों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा । जहां भिन्न-भिन्न काउन्टों के एक तार के आधारी सूत हों वहां एकतार के आधारी सूत का काउन्ट, जिसमें अधिक तम काउन्ट हो, प्रत्येक आधारी एक तार के सूत के काउन्ट के आधार पर गिना जाएगा ,

(ग) सूती या अन्य सूत से विनिर्मित फैब्रिक की दशा में उपरोक्त प्रयोजन के लिए अन्य सूत का भी सूती सूत समझा जाएगा ,

(घ) जहां ताने या बाने में या दोनों में भिन्न काउन्ट के सूत हों, वहां उस सूत के काउन्ट को यथास्थिति, ताने या बाने का काउन्ट समझा जाएगा जिसमें अधिकतम काउन्ट हो ,

(ङ) औसत काउन्ट निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निकाला जाएगा, अर्थात —

(ताने का काउन्ट × रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की सं०) + बाने का काउन्ट × प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की संख्या)
———————————————
(रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की सं० + प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की संख्या)

प्राप्त फल को जहां आवश्यक हो, आधे या अधिक अंश को एक के रूप में मानते हुए और आधे से कम अंश को छोड़ते हुए, पूर्णांकित किया जाएगा ।"

[अधिसूचना सं० 8/77 के०उ०शु० फा० सं० 51/18/74 सी एक्स 2]

ए० एस० सिद्धू, अवर सचिव

G.S.R. 35(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 136/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977 namely :—

In the said notification for Explanation II, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation II—For the purpose of determining the average count of yarn in the cotton fabrics, the following rules shall apply, namely :—

(a) yarn used in the borders or selvedges shall be ignored;

(b) for multiple-fold yarn the count of the basic single yarn shall be taken and the number of ends per 25.4 mm in the reed or the number of picks per 25.4 mm, as the case may be, shall be multiplied by the number of plies in the yarn; where there are basic single yarns of different counts, the count of the basic single yarn which has the highest count shall be taken to be the count of each basic single yarn;

(c) in the case of fabrics manufactured from cotton and other yarn, the other yarn shall, for the aforesaid purpose, be deemed to be cotton yarn;

(d) where there are yarns of different counts in warp or weft or both, the count of the yarn which has the highest count shall be taken to be the count of warp or weft, as the case may be;

(e) the average count shall be obtained by applying the following formula, namely :—

(Count of warp No. of ends per 25.4 mm in the reed) + (Count of weft No. of picks per 25.4 mm.)
———————————————
(No. of ends per 25.4 mm. in the reed + No. of picks per 25.4 mm.)

The result being rounded off, wherever, necessary, by treating any fraction which is one-half or more as one, and disregarding any fraction, which is less than one-half."

[Notification No. 8/77-CE. F. No. 51/18/74-CX-2]

A. S. SIDHU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978